

SI. No.	Information sought	Information provided
(1)	कस्तूरबा नगर रिडेवेलोपमेंट प्लान (GPRA) का नक्शा देने की कृपा करें।	सूचना का खुलासा आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा-8(1)(ई) और 8(1)(डी) के तहत क्रमशः प्रत्ययी संबंध मुद्दों और बौद्धिक संपदा के कारण नहीं किया जा सकता है।
(2)	कस्तूरबा नगर रिडेवेलोपमेंट प्लान में बने हुये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का गेट (main road k.k. sharma marg se connected) अभी तक नहीं बना है जिसका रास्ता दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक विद्दालय के अंदर से जा रहा है माननीय महोदय कृपया बताने की कृपा करें की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मेन गाते नहीं बनने के बावजूद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को एनओसी क्यों दी गयी।	बैठक का विवरण डीयूएसी की वेबसाइट <a href="http://www.duac.org.in">www.duac.org.in</a> पर उपलब्ध है।
(3)	कस्तूरबा नगर रिडेवेलोपमेंट प्लान में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और नगर निगम प्राइमरी विद्दालय तक एक नई सड़क निर्माण के दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक विद्दालय को खोलने की NOC क्यों प्रदान की गयी।	
(4)	कृपया कस्तूरबा नगर रिडेवेलोपमेंट प्लान फेस-1 फेस-2 में कुल कितने पेड़ काटने की परमीशन दी गयी थी और अभी कस्तूरबा नगर रिडेवेलोपमेंट प्लान साइट पर कितने पेड़ बचे हुये हैं।	यह मामला डीयूएसी से संबंधित नहीं है।
(5)	कस्तूरबा नगर रिडेवेलोपमेंट प्लान में नक्शे के अनुसार कार्य न होने पर आपके विभाग ने क्या कार्यवाही करी। कृपया कारवाई की कॉपी प्रदान करें।	
(6)	महोदय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सड़क (k.k.शर्मा मार्ग) से कनेक्ट होने वाला गेट न बनने के कारण (अभी N ब्लॉक दिल्ली नगर निगम प्राइमरी विद्दालय सेवा नगर से रास्ता दिया गया है) शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की NOC क्या रद्द की जा सकती है अगर हाँ तो कब तक की जाएगी और अगर ना है तो कारण बताइए।	